

प्रेषक,

उमेश कुमार,
प्रमुख सचिव
उत्तर प्रदेश शासन

सेवा में,

महानिबन्धक,
मा0 उच्च न्यायालय,
इलाहाबाद ।

न्याय अनुभाग-9 बजट

लखनऊ दिनांक 38 मार्च,2018

विषय- जनपद न्यायालय कासगंज में निर्माणाधीन 18 न्यायालय कक्षाओं के निर्माण कार्य हेतु पुनरीक्षित आगणन के आधार पर धनराशि की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्तविषयक शासनादेश सं0-37/2018/146/सात-न्याय-9(बजट)-2018-800(36)/2013, दिनांक 20-03-2018 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें, जिसके माध्यम से जनपद न्यायालय कासगंज में 18 न्यायालय कक्षाओं के निर्माण कार्य हेतु ₹04768.06 लाख के पुनरीक्षित आगणन पर पुनरीक्षित प्रशासकीय/ वित्तीय अनुमोदन प्रदान किया गया है ।

2- तत्क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रश्नगत कार्य हेतु पुनरीक्षित आगणन ₹04768.06 लाख के सापेक्ष पूर्व स्वीकृत धनराशि ₹04604.88 लाख को समायोजित करते हुए अवशेष धनराशि **₹0163.18 लाख (रूपये एक करोड़ तिरसठ लाख अटठारह हजार मात्र)** की धनराशि केन्द्र प्रायोजित योजना के अन्तर्गत निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन व्यय हेतु स्वीकृत किये जाने की महामहिम श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

1- चूंकि उक्त निर्माण कार्य 30प्र0 राजकीय निर्माण निगम, द्वारा कराया जा रहा है । अतः उक्त स्वीकृत धनराशि आवश्यकतानुसार आहरित करके परियोजना प्रबन्धक 30प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0, इकाई- कासगंज को उपलब्ध कराने हेतु निबन्धक मा0 उच्च न्यायालय खण्डपीठ लखनऊ को अधिकृत किया जाता है।

2- धनराशि का उपयोग दिनांक 31-03-2018 तक कर लिया जायेगा तथा स्वीकृत धनराशि बैंकखाता अथवा पी0एल0ए0 में नहीं रखी जायेगी ।

- 3- लेबर सेस की धनराशि श्रम विभाग को नियमानुसार उपलब्ध कराया जायेगा।
- 4- स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिकाओं के सुसंगत प्राविधानों, तथा समय समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।
- 5- प्रायोजना में वर्क टू बी डन की लागत हेतु जी0एस0टी0 की वास्तविक धनराशि नियमानुसार देय होगी ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है ।

6- शासनादेश सं0-37/2018/146/सात-न्याय-9(बजट)-2018-800(36)/2013, दिनांक 20-03-2018 की शेष शर्तें एवं प्रतिबन्ध यथावत रहेंगे ।

7- प्रश्नगत कार्य के सम्बन्ध में प्रदेश का राजकोषीय प्रबन्धन विषयक वित्त आय व्ययक अनुभाग 2 के शासनादेश सं0 बी 2-171 / दस - 2008- 244- 5/2008, दिनांक 21 जनवरी 2010 में दिये गये निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा तथा किसी भी प्रकारकी अनियमितता के लिए निर्माण एजेन्सी/ सम्बन्धित उत्तरदायी होंगे।

3- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2017-2018 के आय-व्ययक में अनुदान सं0-42 के अधीन लेखाशीर्षक 4059-लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय- 01-कार्यालय भवन-051-निर्माण - 01- केन्द्र प्रायोजित योजनाएं -0101-प्रदेश के विभिन्न जनपदों में न्यायालय की स्थापना (के0-60/रा0-40, के0*रा0)- 24 वृहत निर्माण कार्य, के नामे डाला जायेगा ।

4- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-8/2017/ बी-1-1190/दस-2017-231/2017, दिनांक 03 अगस्त,2017 में प्रशासकीय विभाग को प्रतिनिधानित अधिकारो के अन्तर्गत जारी किये जा रहे हैं ।

भवदीय,

(उमेश कुमार)
प्रमुख सचिव

सं0- 38 /2018/146(3)/सात-न्याय-9(बजट)-2018, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

- 1- प्रधान महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) रिपोर्ट लेखा अनुभाग 30प्र0 इलाहाबाद।
- 2- प्रधान महालेखाकार (लेखा परीक्षा) 30प्र0, इलाहाबाद ।
- 3- निबन्धक, मा0 उच्च न्यायालय, लखनऊ बेंच लखनऊ ।
- 4- निजी सचिव, अध्यक्ष अवस्थापना मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद को मा0 अध्यक्ष के अवगतार्थ।
- 5- जनपद न्यायाधीश कासगंज।
- 6- निदेशक, वित्तीय सांख्यिकी निदेशालय, प्रथम तल, जवाहर भवन, लखनऊ ।
- 7- कोषाधिकारी, कलेक्ट्रेट लखनऊ मा0 उच्च न्यायालय लखनऊ बेंच लखनऊ के माध्यम से।
- 8- प्रबन्धक निदेशक यू0पी0 आर0एन0एन0/परियोजना प्रबन्धक 30प्र0 राजकीय निर्माण निगम इकाई- कासगंज ।
- 9- वित्त ई- 12/ सम्बन्धित समीक्षा अधिकारी/ गार्डबुक न्याय-9 (बजट) ।

आज्ञा से,

(सन्त लाल)
उप सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है ।